

कार्यालय ज्ञाप

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के पत्रांक सं० 3192417/2025/कृषिअ-67-1099/138/2024 दिनांक-19.01.2026 के क्रम में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक-12.06.2024 के परिपालन में दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले विश्वविद्यालय के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों द्वारा आहरित अन्तिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि, सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि के मापदण्डों को पूर्ण करते हुए, वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्तर से ही स्वीकृत करते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जायेगा। उक्त की प्रविष्टि सेवापुस्तिका में करते हुए पेंशनरी लाभ/ग्रेच्युटी का प्रस्ताव तदनुसार प्रेषित किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था से ऐसे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व सम्बन्धित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे परन्तु उन्हें यह लाभ तत्कालिक प्रभव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिकों पर भी लागू होगी जो सम्बन्धित वर्ष की 30 जून/ 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी।

उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक-12.06.2024 से प्रभावी होगी। यह कार्यालय ज्ञाप सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० ए.एन.डी.यू.ए.टी.-07/कार्यालय ज्ञाप/स्था.-2/2024/1080 दिनांक-27.07.2024 उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

(सुशान्त श्रीवास्तव)
निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या।

पत्रांक-ए.एन.डी.यू.ए.टी.-07/कार्यालय ज्ञाप/लेखा-1/2026/2072

दिनांक-23-01-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. निदेशक, पेंशन, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
5. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक।
6. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. सेल।
7. निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
9. वित्त नियंत्रक।
10. डा० विशाल मेहता, सहा. प्राध्यापक, सांख्यिकी विभाग को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
12. गार्ड फाइल।

(सुशान्त श्रीवास्तव)
निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण